डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

किरोड़ी बनाम चरनसिंह वगै०

दावा बाबत् धारा 88, 89 व 188 RTA

मुकदमा नं. 70/2017 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री डूलीचंद शर्मा एड० मिनजानिब

श्री नरेन्द्र पाल एड० मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी खारिज किया जाता है।

आज ...... मुबलिग ...... बाबत् ......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक ...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 04 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांक:—70/2017

1. किरोडी पुत्र ग्यासीराम(मृतक)

   1/1. गिर्राज पुत्र किरोडी जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन ....वादी

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र पूरना(मृतक)

   1/1. छीतरमल पुत्र चरनसिंह(मृतक)

   1/1/1. सियाराम

   1/1/2. पुरूषोत्तम

   1/1/3. नारायन सिंह

   1/1/4. सुरेश पुत्रान छीतरमल

   1/1/5. राजनदेई पुत्री चरन सिंह(मृतक)

   1/1/5/1. योगेश पुत्र महेन्द्र

   1/1/5/2. विजयपाल पुत्र महेन्द्र

   1/1/6. नारंगी

   1/1/7. सुनीता

   1/1/8. वीरा पुत्रीयान छीतरमल

   1/1/9. सौमौती पुत्री छीतरमल

   1/1/10/1. पूरन पुत्र दयाराम पौत्र छीतरमल

   1/1/10/2. गायत्री

   1/1/10/3. सौना

   1/1/10/4. रीना पुत्रीयान दयाराम पौत्रिया छीतरमल

   1/1/10/5. गोमती पत्नि दयाराम पुत्र वधु छीतरमल

2. प्रभु पुत्र पूरना

   2/1. निरोती

   2/2. अजीराम

   2/3. छोटेलाल

   2/4. पीतम सिंह पुत्रान प्रभू

   2/5. केशमती

   2/6. फूलवती पुत्रीयान प्रभू

   2/7/1. अमरसिंह

   2/7/2. चिम्मन सिंह पुत्रान गुलाब सिंह

   2/7/3. राधा

   2/7/4. उर्मिला पुत्रीयान गुलाब सिंह

   2/8/1. राकेश पुत्र कल्लन सिंह

   2/8/2. देवी पुत्री कल्लन सिंह

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

2/8/3. हरिओम पुत्र चन्द्रवती(पुत्री कल्लन सिंह)

3. रामखिलाडी पुत्र रामसिंह(मृतक)
   3/1. रूपसिंह
   3/2. चिमनी
   3/3. प्रेमसिंह
   3/4. डालचन्द
   3/5. खूबी पुत्रान रामखिलाडी
   3/6. हरदेई पुत्री रामखिलाडी
   3/7. बत्तो पत्नि रामखिलाडी
4. मिश्रिलाल पुत्र अकबर(मृतक)
   4/1. यादराम पुत्र मिश्रिलाल
   4/2. किशनदेई
   4/3. ज्ञानदेई पुत्रीयान मिश्रिलाल
5. बच्चूसिंह
6. भूरीसिंह पुत्रान अकबर
7. गिरधारी पुत्र भंवरसिंह(मृतक)
   7/1. हुकम सिंह
   7/2. पप्पू
   7/3. शिवराज
   7/4. जन्डैल
   7/5. राजाराम पुत्रान गिरधारी
   7/6. गीता
   7/7. श्रीमती पुत्रीयान गिरधारी
   7/8. गंगादेई पत्नि गिरधारी
8. लटूर पुत्र भंवरसिंह(मृतक)
   8/1. बबलू
   8/2. होशियार सिंह पुत्रान लटूर
9. मवासी
10. भूरीसिंह
11. भगवान सिंह पुत्रान भंवरसिंह
12. पन्ना पुत्र हरनारायन(मृतक)
    12/1. किशन सिंह
    12/2. गनपत पुत्रान पन्ना
13. कमला पत्नि ओमप्रकाश समस्त जातियान लोधा निवासीयान बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
14. श्यामस्वरूप पुत्र भंवर स्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..........................प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः—70 / 2017

1. किरोडी पुत्र ग्यासीराम(मृतक)
   1 / 1. गिर्राज पुत्र किरोडी जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन ....वादी

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र पूरना(मृतक)
   1 / 1. छीतरमल पुत्र चरनसिंह(मृतक)
   1 / 1 / 1. सियाराम
   1 / 1 / 2. पुरूषोत्तम
   1 / 1 / 3. नारायन सिंह
   1 / 1 / 4. सुरेश पुत्रान छीतरमल
   1 / 1 / 5. राजनदेई पुत्री चरन सिंह(मृतक)
   1 / 1 / 5 / 1. योगेश पुत्र महेन्द्र
   1 / 1 / 5 / 2. विजयपाल पुत्र महेन्द्र
   1 / 1 / 6. नारंगी
   1 / 1 / 7. सुनीता
   1 / 1 / 8. वीरा पुत्रीयान छीतरमल
   1 / 1 / 9. सौमौती पुत्री छीतरमल
   1 / 1 / 10 / 1. पूरन पुत्र दयाराम पौत्र छीतरमल
   1 / 1 / 10 / 2. गायत्री
   1 / 1 / 10 / 3. सौना
   1 / 1 / 10 / 4. रीना पुत्रीयान दयाराम पौत्रिया छीतरमल
   1 / 1 / 10 / 5. गोमती पत्नि दयाराम पुत्र वधु छीतरमल
2. प्रभु पुत्र पूरना
   2 / 1. निरोती
   2 / 2. अजीराम
   2 / 3. छोटेलाल
   2 / 4. पीतम सिंह पुत्रान प्रभू
   2 / 5. केशमती
   2 / 6. फूलवती पुत्रीयान प्रभू
   2 / 7 / 1. अमरसिंह
   2 / 7 / 2. चिम्मन सिंह पुत्रान गुलाब सिंह
   2 / 7 / 3. राधा
   2 / 7 / 4. उर्मिला पुत्रीयान गुलाब सिंह
   2 / 8 / 1. राकेश पुत्र कल्लन सिंह
   2 / 8 / 2. देवी पुत्री कल्लन सिंह

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

2/8/3. हरिओम पुत्र चन्द्रवती(पुत्री कल्लन सिंह)

3. रामखिलाडी पुत्र रामसिंह(मृतक)
   3/1. रूपसिंह
   3/2. चिमनी
   3/3. प्रेमसिंह
   3/4. डालचन्द
   3/5. खूवी पुत्रान रामखिलाडी
   3/6. हरदेई पुत्री रामखिलाडी
   3/7. बत्तो पत्नि रामखिलाडी
4. मिश्रिलाल पुत्र अकवर(मृतक)
   4/1. यादराम पुत्र मिश्रिलाल
   4/2. किशनदेई
   4/3. ज्ञानदेई पुत्रीयान मिश्रिलाल
5. बच्चूसिंह
6. भूरीसिंह पुत्रान अकबर
7. गिरधारी पुत्र भंवरसिंह(मृतक)
   7/1. हुकम सिंह
   7/2. पप्पू
   7/3. शिवराज
   7/4. जन्डैल
   7/5. राजाराम पुत्रान गिरधारी
   7/6. गीता
   7/7. श्रीमती पुत्रीयान गिरधारी
   7/8. गंगादेई पत्नि गिरधारी
8. लटूर पुत्र भंवरसिंह(मृतक)
   8/1. बबलू
   8/2. होशियार सिंह पुत्रान लटूर
9. मवासी
10. भूरीसिंह
11. भगवान सिंह पुत्रान भंवरसिंह
12. पन्ना पुत्र हरनारायन(मृतक)
   12/1. किशन सिंह
   12/2. गनपत पुत्रान पन्ना
13. कमला पत्नि ओमप्रकाश समस्त जातियान लोधा निवासीयान बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
14. श्यामस्वरूप पुत्र भंवर स्वरूप जाति ब्राहमण निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.........................प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए

उपस्थितिः–

1.श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट वादीगण।

2.श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांकः–29.04.2026

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश किया गया है। उक्त प्रकरण दिनांक 17.08.2009 को इस न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में डिकी किया गया था जिसकी अपील प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष की गई थी। न्यायालय श्रीमान द्वारा अपील प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.08.2009 को अपास्त किया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः विचार करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य व सुनवाई के बाद गुणावगुण पर उचित निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय में प्रतिपेषित किया गया है।

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 7 बीघा 09 विस्वा में से 16 विस्वा व खसरा नम्बर 124 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा ग्राम नेकपुर तहसील रूपवास हाल उच्चैन में स्थित है। उक्त दोनों नम्बर मौके पर मिले हुए है और उनकी भूमि चारों तरफ की सीमा में एक ही है, उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 145 का शेष भाग, तरफ दक्षिण खेत रमचन्दी जाटव, तरफ पूर्व खेत पन्ना पंडित, तरफ पश्चिम खेत हरचंद है उक्त खसरा नम्बर संवत् 2012 से पूर्व से ताहाल बदस्तूर आज तक मौके पर एक ही हो रहे है और कदीमी डौलमैड कायम है इसी सूरत में वादी अपने पूर्वजों के जमाने से अब तक लगातार काश्त करता हुआ चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने चालाकी से खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 16 बिस्वा का गैरकानूनी रूप से व मौके के विपरीत राजस्व रिकार्ड मे स्वयं के नाम का अंकन करबा लिया है मौके पर जब पटवारी ने कब्जा पाया तो वादी के नाम केवल शिकमी इन्द्राज कर दिया दिनांक 15 अप्रेल 1991 को प्रतिवादीगण ने धमकी वादी को उक्त विवादित भूमी से बेदखल करने की दी अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 7 बीघा 9 विस्वा में से 16 विस्वा ग्राम नेकपुर में वादी को न्यारानूर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 7 बीघा 9 विस्वा का पूरा रकवा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी का है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1/6 भाग के, प्रतिवादी संख्या 3 1/12 भाग का, प्रतिवादीगण 4 लगा0 6 बहिस्सप बराबर 1/12 भाग के, व प्रतिवादी संख्या 12 1/3 भाग के रिकार्डेड खातेदार है व सम्बत् 2012 से आज तक काबिज चले आ रहे है। विवादित भूमी के 16 विस्वा रकवा या अन्य किसी भाग पर वादी का आज तक कब्जा नहीं रहा है वादी ने सीमाएं जानबूझकर गलत दर्ज की है विवादित आराजी पर दाबा दायर करने से पूर्व अन्दर 12 वर्ष वादी का विवादित भूमी पर कोई कब्जा नहीं रहा है अतः उसका दावा अन्दर म्याद नहीं

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

है। वादी द्वारा गैरकानूनी तरीके से विवादित भूमी में शिकमी दर्ज करबा लिया गया अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी के वाद व जबाव दावे के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 145 रकवा 7बीघा 09 विस्वा मिन से 16 विस्वा व खसरा नम्बर 124 रकवा 01 बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम नेकपुर का खातेदार काश्तकार व कांबिज आराजी है। ....वादी
2. आया आराजी खसरा नम्बर 145 रकवा 7 बीघा 09 विस्वा मिन से 16 विस्वा व खसरा नम्बर 124 रकवा 01 बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम नेकपुर आपस में मिले हुये है व मौके पर एक ही हो रहे है बीच में कोई सीमा नहीं है एवं दोनों नम्बरों के चारो ओर की डौलमैड एक हो रही है। ....वादी
3. आया वादी को वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित धमकी प्रतिवादीगण ने दी यदि हां तो इसका वाद पर प्रभाव। ....वादी
4. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 8 के मुताबिक वाद वादी स्थाई निषेधज्ञा के लिए मैनटेनेबल नहीं है। ....प्रतिवादीगण
5. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 8 के मुताबिक वाद अवधि में पेश नहीं है। ....प्रतिवादीगण
6. आया उत्तरवाद की खंड संख्या 9 के मुताबिक वाद में उसूल एस्टोपिल एक्यूजिसैंस आरिज है। ....प्रतिवादीगण
7. दादरसी

वादी ने वाद के समर्थन में सम्बत् 2020 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041 से 2044 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, सम्वत् 2045 से 2048 की प्रति प्रदर्श–2, सम्वत् 2045–48 की जमाबंदी की प्रति प्रदर्श–3 मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट प्रदर्श–5, मौके का नजरी नक्शा प्रदर्श–4, सवंत् 2021 से 2024 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 प्रस्तुत की मौखिक साक्ष्य पी डब्लू–1 गिर्राज, पी डब्लू–2 भावसिंह, पी डब्लू–3, अजीराम के करवाये।

प्रतिवादीगण ने ग्राम नेकपुर की सम्वत् 2049–52 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–1, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2049–52 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–2 प्रस्तुत की, मौखिक साक्ष्य डी. डब्लू–1 छीतरमल व डी डब्लू–2 रामखिलाडी के करवाये।

उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के प्राप्त होने पश्चात पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। मृतक वादी एवं प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। उभयपक्ष के द्वारा उक्त प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रकरण में बहस हेतु निवदेन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जबाव दावा, शपथ पत्र, मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

किया गया। प्रकरण में कानूनी प्राबधानों के परिप्रेक्ष्य में समुचित विवेचन के पश्चात गुणावगुण पर निम्न प्रकार से तनकीयात का निर्णय किया जाता है–

तनकी नम्बर–1:– अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम नेकपुर के खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 7 बीघा 09 विस्वा में से 16 विस्वा भूमि जो वादी की खातेदारी की भूमी खसरा नम्बर 124 के उत्तर दिशा में है व मौके पर दोनों खसरा नम्बर मिले हुये है व सम्वत् 2012 से पूर्व से ही वादी इसी स्थिति में अपने पूर्वजों के समय से अब तक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस कथन के समर्थन में वादी ने जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 की प्रमाणित प्रति व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021–24 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन कराया जिसमें जिसमें खसरा नम्बर 145 की 16 विस्वा आराजी में वादी का पिता किरोडी बल्द ग्यासी शिकमी 3 साल अंकित है खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041 से 44 की प्रमाणित प्रति में किरोडी शिकमी 23 साल अंकित है। दिनांक 09.05.1991 को नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा की गई विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट एवं नक्शा मौका का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 145 का दक्षिणी भाग खसरा नम्बर 124 में शामिल है एवम् राज्य सरकार द्वारा सम्वत् 2045 में जनरल आदेश से राजस्व रिकार्ड में शिकमी के इन्द्राज को समाप्त कर दिया गया था परन्तु वादी र्निविवाद रूप से सम्वत् 2012 के पूर्व से व अब भी निरन्तर विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा इसका कभी भी विरोध नहीं किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया गया था जो कि आज दिनांक तक प्रभाव में है इसके बाबजूद प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी का बेचान दौराने बाद किया है एवं प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विड्रो कर लिया है। वादी किरोडी एवं प्रतिवादी चरन सिंह की मृत्यू हो चुकी है उनके समस्त वारिसान रिकार्ड पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी के पुत्र गिंराजसिंह एक स्वतंत्र गबाह भाव सिंह एवं तत्कालीन हल्का पटवारी के बयान कराये है जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा केवल अपने पुत्र एवं एक अन्य प्रतिवादी के बयान कराये है। उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना से रूपवास स्थानांतरण हुआ था एवं रूपवास से न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन में स्थानांतरित हुआ है। उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के द्वारा दिनांक 17.08.2009 को वादी के पक्ष में डिकी किया जा चुका है एवं जिसकी अपील प्रतिवादीगण ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष की थी जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा मृत पक्षकारान के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के निर्देश के साथ इस प्रकरण को इस न्यायालय में प्रतिपेषित किया था एवं न्यायालय श्रीमान आरएए भरतपुर के निर्देशानुसार मृत पक्षकारान के समस्त वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। उक्त विवादित आराजी पर वादी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व से है। उक्त प्रकरण पूर्व में भी वादी के पक्ष में डिकी हो चुका है। अतः उक्त प्रकरण को वादी के पक्ष में डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर 124/1.19 बीघा बाके ग्राम नेकपुर के सम्बन्ध में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है। विवादित आराजी 145 पर वादी शिकमी अंकन जो कि

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

राजस्व रिकार्ड में है कि आधार पर अपना कब्जा बताता है। राज्य सरकार द्वारा सन् 1986 के परिपत्र के आधार पर शिकमी इंन्द्राज के अंकन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना बर्जित कर दिया था एवं वादी ने उक्त वाद दिनांक 15.04.1991 को पेश किया है। उक्त प्रकरण में खातेदारी घोषित करबाने हेतु सन् 1986 से पूर्व ही कोई कार्यवाही की सकती थी उसके वाद नहीं। दूसरा तर्क दिया की वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी का बेचान कर दिया जना बताया है, किसी भी आराजी का बेचान तभी सम्भव है जब उस पर विकेता का कब्जा एवं खातेदारी हो। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2045–48 प्रति० की खातेदारी को साबित करने हेतु पर्याप्त दस्ताबेज है। प्रति० अभि० ने तर्क दिया कि उसके द्वारा उक्त आराजी की राजस्व लगान भरी गयी है जो कि उसके पक्ष में है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में भाव सिंह की गवाही करायी जो कि वादी का सगा भाई है कोई स्वतंत्र गबाह नहीं है। नायब तहसीलदार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है क्योंकि मौका जांच के लिये ना तो प्रतिवादीगण को उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस दिया गया था और ना ही मौके के जांच प्रतिवादीगण के समक्ष की गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त प्रकरण कें किये गये निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.08.2009 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के द्वारा अपास्त किया गया था एवं प्रकरण में पुनः साक्ष्य एवं सुनबाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय में प्रतिपेषित किया गया था। विवादित आराजी में वादी के कोई खातेदारी अधिकार नहीं है वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणों की बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम नेकपुर की सम्वत् 2020–2023 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति में खाता संख्या 39 में प्रतिवादी चरनसिंह वगै० खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 16 विस्वा में खातेदार अंकित है व वादी किरोडी बल्द ग्यासी की काश्त शिकमी 3 साल अंकित है खसरा गिरदावरी संवत् 2021–24 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 में वादी किरोडी जो वादीगण का पिता है उक्तानुसार शिकमी 3 साल अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041–44 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 में कॉलम संख्या 4 में खसरा नम्बर 145 रकवा 16 विस्वा का अंकन है एवम् कॉलम 6 में किरोडी बल्द ग्यासी की बतौर शिकमी 23 साल काश्त अंकित है। उक्त रिकार्ड के आधार पर सम्वत् 2018–2044 तक उक्त आराजी पर वादी का प्रतिकूल कब्जा साबित होता है।

मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.1991 एवं नजरी नक्शा दिनांक 09.05.1991 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नजरी तौर पर केवल मौके पर उपस्थित होकर सतही तौर पर पूछताछ के आधार पर निष्कर्ष निकालकर बनायी जाना प्रतीत होता है एवं उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा भी नजरी तौर पर सतही पूछताछ से तैयार किया गया है उक्त नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट में पैमाइश कर विवादित आराजी की सीमा सुनिश्चित नहीं की गई है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त प्रकरण में वादी द्वारा शिकमी के आधार पर खातेदारी अधिकार हेतु कोई भी दस्ताबेज प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त विवातिद आराजी पर वादी का प्रतिकूल कब्जा साबित होता है परन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार भी सृजित नहीं होते है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2:– मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.1991 एवं नजरी नक्शा दिनांक 09.05.1991 का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नजरी तौर पर केवल मौके पर उपस्थित होकर सतही तौर पर पूछताछ के आधार पर निष्कर्ष निकालकर बनायी जाना है एवं उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा भी नजरी तौर पर सतही पूछताछ से तैयार किया गया है उक्त नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट में पैमाइश कर विवादित आराजी की सीमा सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बरः–3:– जमाबंदी सम्बत् 2020–2023 बाके ग्राम नेकपुर की प्रमाणित प्रति में खाता संख्या 39 में प्रतिवादी चरनसिंह वगै0 खसरा नम्बर 145 मिन रकवा 16 विस्वा में खातेदार अंकित है व वादी किरोडी बल्द ग्यासी की काश्त शिकमी 3 साल अंकित है एवं शिकमी खातेदारी के आधार पर खातेदारी दिये जाने बाबत् कोई भी दस्ताबेज वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–4, 5 व 6:– तनकी नम्बर 1,2,3 के अनुसरण में उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सभी तनकीयात का निर्णय प्रथक–प्रथक किया जा चुका है। उक्त वादपत्र में वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है परन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते है। वादी उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन,भरतपुर
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)